



प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू

सचिव

Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu

MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS

Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

D.O.No.F.91-9/2015 (GS/MHRD)

5th July, 2016

Dear Sir/Madam,

University Grants Commission has notified *University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015* in the Gazette of India which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These Regulations clearly describes responsibilities of the higher educational institutions, grievance redressal mechanism, process for making complaint and conducting Inquiry, Interim redressal, punishment and compensation, consequences of non-compliance etc. UGC Regulations being statutory in nature are binding for Universities and Colleges.

The Ministry of Women and Child Development, Government of India has also published a "Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace". The Handbook clearly describes the issues like what is workplace sexual harassment, its prevention, prohibition and redressal along with the global norms and good practices followed in this regard. A copy of the Handbook is also available on UGC website.

You are requested to kindly ensure implementation of UGC Regulations in your esteemed University and affiliated colleges. Also ensure wide circulation of the Handbook amongst faculty, students and staff of your University and affiliated colleges and also upload the same on the university website for their use.

With kind regards,

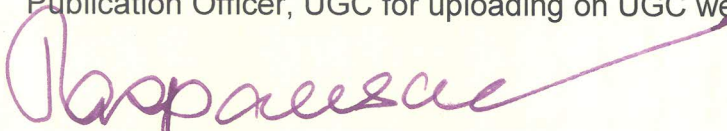
Yours sincerely,


(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellor of All Universities.

Copy to :

Publication Officer, UGC for uploading on UGC website.


(Jaspal S. Sandhu)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।
(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।
2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में—बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-
(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;
(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);
(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैंटीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

- (इ) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना
- (ई) अश्लील साहित्य दिखाना
- (ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं—
- (अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में हैं;
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;
- (स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;
- (द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;
- (ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;
- (एल) “छात्र” शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल ह:
- बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है— यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:
- बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;
- (एम) “किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न” उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है—बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एन) “उत्पीड़न” का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;
- (ओ) “कार्यस्थल” का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:
- (अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।
3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व—(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)
- (अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;
- (ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना;

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाना है;

- (2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकाश के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आबंटन भी हो;
- (3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से सामर्थ्य से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है;
- (4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं;
- (5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;
- (7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;
- (8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए;
- (9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार वे स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है;
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए;
- (11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शाम के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबंध किया जाना चाहिए;
- (12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है;

- (4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;
- (5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है;
- (6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि:-
 - (अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
 - (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
 - (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा
 - (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी सेवा में निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;
 तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;”

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :- आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
 - (ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;
 - (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा;
 - (द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
 - (ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्रवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;
6. शिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:- आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे;
7. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :- किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें;
- बशर्ते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा;
- बशर्ते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर समय सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:-

- (व) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;
- (ख) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी;
- (ग) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;
- (3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा:-
 - (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;
 - (ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;
 - (स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;
 - (द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
 - (ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाई:-

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य थे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए;

12. गैर अनुपालन के परिणाम:-

- (1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक बिन्दुओं पर कार्यवाई करेगा:-
 - (अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;
 - (ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;
 - (स) संस्थान को आबंटित किसी भी अनुदान को रोक देना;
 - (द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;
 - (ई) जन साधारण को, एवं रोजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त मीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति (मतव जवसमतंदबम चवसपयलड का समर्थन नहीं करता है);
 - (एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्बद्धता को आहरित करने की अनुशंसा के लिये कहें;

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;
- Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) "sexual harassment" means-
- (i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;-
 - (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
 - (b) demand or request for sexual favours;
 - (c) making sexually coloured remarks
 - (d) physical contact and advances; or
 - (e) showing pornography"
 - (ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
 - (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
 - (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
 - (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
 - (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
 - (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;

Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 **Supportive measures.**—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;"

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
- (2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
- (3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice- Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
- (4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
- (5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
- (6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
- (a) contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
 - (b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
 - (c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
 - (d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section."

5. **Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) -** The Internal Complaints Committee shall:
- (a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. **Interim redressal**-The HEI may,

- (a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;
- (b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;
- (c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;
- (d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;
- (e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

10. **Punishment and compensation**- (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may,-

- (a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;
 - (b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;
 - (c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;
 - (d) award reformatory punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.
- (3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-
- (a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;
 - (b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;
 - (c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;
 - (d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
 - (e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. **Action against frivolous complaint.**—To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)